HRA AN UNIVERSITY OF ANDREW

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873] No. 873] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

कंपनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2006

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (1) श्री येजदी एच. मालेगम, चार्टर्ड अकाउंटेंट
- (2) श्री टी. के. एन. मनोहरन, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
- (3) श्री एच. एम. चौरारिया, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
- (4) श्री एम. गोपालाकृष्णन, सदस्य केन्द्रीय परिषद्, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान
- (5) श्री प्रशान्त सरन, मुख्य महा प्रबंधक प्रभारी भारतीय रिजर्व बैंक
- (6) श्री ए. के. अवस्थी, महानिदेशक (वाणिज्यक) भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का नामनिर्देशिती

अध्यक्ष

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2443 GI/2006

(7) डॉ. एन. बालसुब्रमणियन, भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलौर का नामनिर्देशिती

(8) श्री दिनेश वर्मा, सी.आई.टी., (आई टी ए), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(9) श्री वेद जैन, दि एसोसिएटेड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती

(10) श्री एस. आर. मेहता, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती

(11) श्री आर. के. नायर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नामनिर्देशिती

(12) श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

सदस्य

(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. यह अधिसुचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2006

S.O. 1273(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely :-

(1) Shri Yezdi H. Malegam, Chartered Accountant

Chairperson

(shall hold office upto 28-2-2007)

[under clause (a) of Sub-section (2) of Section 210A]

(2) Shri T. N. Manoharan, President of the Institute of Chartered Accountants of India

(3) Shri H. M. Choraria, President of the Institute of Company Secretaries of India

(4) Shri M. Gopalakrishnan, Central Council Member. The Institute of Cost and Works Accountants of India

(5) Shri Prashant Saran, Chief General Manager-in-charge, Reserve Bank of India

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (d) of Sub-section (2) of Section 210A]

(6) Shri A. K. Awasthi, Director General (Commercial), Nominee of the Comptroller and Auditor-General of India

(7) Dr. N. Balasubramanian, Nominee of the Indian Institute of Management, Bangalore

(8) Shri Dinesh Verma, CIT (ITA), Central Board of Direct Taxes

(9) Shri Ved Jain, Nominee of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India

(10) Shri S. R. Mehta, Nominee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

(11) Shri R. K. Nair, Executive Director, Securities and Exchange Board of India

(12) Shri Jitesh Khosla, Joint Secretary, Ministry of Company Affairs Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (e) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (f) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (g) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (i) of Sub-section (2) of Section 210A]

Member

(shall hold office upto 28-2-2007)

[nominated under clause (c) of Sub-section (2) of Section 210A]

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

TOUGHT WITHER The second will the second Designation of the con-AMALES NO.